राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:प.4 (iv) CAG/IMP/CHC/TAFE/2016–17/4573-82 दिनांक: 11/10/17

प्रशासनिक स्वीकृति आदेश

राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के अन्तर्गत राज्य में **कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्रों** की स्थापना हेतु आमंत्रित अभिरूचि की अभिव्यक्ति की निरन्तरता में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (**GRAM 2016**) जयपुर में राज्य सरकार एवं ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0 चेन्नई के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन तथा कृषि विभाग राजस्थान एवं निवेशक फर्म (ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0 चेन्नई) के मध्य निष्पादित करार के अन्तर्गत निवेशक फर्म द्वारा प्रथम एवं द्वितीय ऑपरेटर के रूप में उनको निम्नांकित आवंटित जिलों में स्वयं के अथवा फ्रेन्चाईजी के माध्यम से **कृषि उपकरणों कस्टम हायरिंग केन्द्रों** की स्थापना किया जाना निर्धारित है।

प्रथम ऑपरेटर के रूप में आवंटित जिलें	द्वितीय ऑपरेटर के रूप में आवंटित जिलें
1. अजमेर 2. दौसा 3. जयपुर 4. टोंक 5. बाड़मेर 6. जोधपुर 7. झुंझुनू 8. नागौर 9. सीकर	1. बांरा 2. बून्दी 3. झालावाड़ 4. कोटा 5. अलवर 6. भरतपुर 7. धौलपुर 8. करौली 9. सवाई माधोपुर 10. जालोर 11. पाली 12. सिरोही

कस्टम हायरिंग केन्द्रों (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) की स्थापना हेतु विभागीय पत्र क्रमांक प.4(IV)कृ. यंत्र/2017–18/2272–2498 दिनांक 03.07.2017 द्वारा जारी दिशा–निर्देश में निर्धारित प्रक्रिया के क्रम में ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0 चेन्नई द्वारा उनके अधिकृत फ्रेन्चाईजी **श्रीमती शकुन्तला, प्रोपराईटर मैसर्स मयंक सर्विसेस (M/s. Mayank Services) रायपुर जाटान, पं स. कोटकासिम, जिला अलवर** के अग्रेषित आवेदन के अनुसार स्वयं के वित्तीय संसाधनों के आधार पर **''कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र''** स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

श्रीमती शकुन्तला, प्रोपराईटर मैसर्स मयंक सर्विसेस (M/s. Mayank Services) रायपुर जाटान, पं स. कोटकासिम, जिला अलवर द्वारा स्थापित किये जाने वाले **''कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र''** की प्रशासनिक स्वीकृति कृषि विभाग राजस्थान एवं निवेशक फर्म (ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0 चेन्नई) के मध्य निष्पादित करार एवं परिशिष्ठ ''1'' में वर्णित शर्तों की पालना के अध्यधीन होगी। उक्त **''कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र''** हेतु अनुमोदित कृषि यंत्र/उपकरण परिशिष्ठ ''2'' के अनुसार होगे।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक:प.4 (iv) CAG/IMP/CHC/TAFE/2016–17/4573-82 दिनांक: 11/10/17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान), मुख्यालय जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
4. खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0), भरतपुर।

4573-82
11/10/17

5. उप निदेशक, कृषि (वि0), जिला परिषद अलवर 301001 को ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0 चेन्नई के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन एवं करार की प्रति मय मूल आवेदन संलग्न प्रेषित कर लेख है कि विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रशासनिक स्वीकृति की शर्तों के अधीन कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना का कार्य पूर्ण करावे।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यालय, जयपुर।
7. शाखा प्रबन्धक सम्बन्धित बैंक मय एस.एल.बी.सी. द्वारा फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग के वित्त पोषण हेतु जारी पत्र की प्रति जरिये उप निदेशक, कृषि (वि0), जिला परिषद अलवर।
8. श्रीमती शकुन्तला, प्रोपराईटर मैसर्स मयंक सर्विसेस (M/s. Mayank Services) रायपुर जाटान, पं स. कोटकासिम, जिला अलवर को प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति आदेश में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुये उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद के समन्वय से ''कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र''की स्थापना की कार्यवाही पूर्ण करे।
9. श्री शैलेश कुमार जैन, क्षेत्रीय प्रबन्धक, कस्टम हायरिंग, ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0 चेन्नई को उनके द्वारा अग्रेषित प्रस्ताव के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित उप निदेशक कार्यालय से समन्वय कर ''कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र'' की स्थापना का कार्य शीघ्र पूर्ण करावें।
10. आरक्षी पत्रावली।

(के0 एन0 खण्डेलवाल)
उप निदेशक, कृषि (अभियांत्रिकी)

ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0 चेन्नई के अधिकृत फ्रेन्चाईजी श्रीमती शकुन्तला, प्रोपराईटर मैसर्स मयंक सर्विसेस रायपुर जाटान, पं स. कोटकासिम, जिला अलवर द्वारा स्थापित किये जाने वाले ''कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र'' की स्थापना हेतु निर्धारित शर्तें

i. **श्रीमती शकुन्तला, प्रोपराईटर मैसर्स मयंक सर्विसेस रायपुर जाटान, पं स. कोटकासिम, जिला अलवर द्वारा ''कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र'' की स्थापना बैंक से प्राप्त ऋण से की जायेगी।**

ii. बैंक द्वारा मार्जिन मनी को छोड़कर शेष राशि के बराबर का ऋण आवेदक को स्वीकृत किया जायेगा।

iii. आवेदक को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के अन्तर्गत कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु स्वीकृत किये गये कृषि यंत्रों/उपकरणों की लागत का 40% अनुदान देय है। **कृषि यंत्रो/उपकरणों के क्रय पर प्रचलित कर आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।**

iv. ऋण अदायगी में आवेदक द्वारा बैंक की राशि लौटाने के उपरांत अनुदान की राशि का समायोजन एक मुश्त रुप से बैंक द्वारा किया जायेगा। आवेदक ऋण राशि अदा करने में असफल होता है तो उसे अनुदान का लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदक बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण राशि एवं देय ब्याज का देनदार रहेगा। बैंक को अनुदान राशि पुनः विभाग को लौटानी होगी।

v. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरुप से लौटाया नहीं जा सकेगा। (Lock-in Period) की अवधि के पूर्व आवेदक द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रुप से चुकाने पर आवेदक अनुदान का पात्र नहीं रहेगा। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि विभाग को वापिस की जावेगी।

vi. अनुदान की राशि जब तक बैंक के पास रहेगी तब तक उस पर विभाग/आवेदक को कोई ब्याज देय नहीं होगा। **ऋण राशि से अनुदान की राशि घटाने के बाद शेष राशि पर ही बैंक द्वारा आवेदक से ब्याज लिया जायेगा।**

vii. योजनान्तर्गत क्रय किए गए ट्रेक्टर एवं कृषि मशीनों से न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि तक कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) सेवायें प्रदान करनी आवश्यक होगी।

viii. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 6 वर्ष में की जावेगी तथा ऋण स्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।

ix. योजना के तहत क्रय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/समिति/फर्म को आवेदक द्वारा 6 वर्ष की अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नही किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर विभाग को नियमानुसार अनुदान राशि मय प्रचलित ब्याज के वापस करनी होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली हेतु आवेदक पर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।